वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा
प्रबंध मंडल की 109 वीं बैठक
06 मार्च 2024
कार्यवाही विवरण

प्रबंध मण्डल की 109 वीं बैठक दिनांक 06 मार्च 2024 को मध्यान्ह् बाद 02.00 बजे आयोजित की हुई, बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रो0 कैलाश सोडाणी द्वारा की गई। सर्वप्रथम प्रबंध मंडल के सदस्यों द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नवनियुक्त सदस्य प्रो0 जे0पी0 शर्मा,डा0रश्मि बोहरा एवं डा0 अनुरोध गोधा का स्वागत करते हुए निर्वतमान सदस्य डा0 संतोष कुमार शील का उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए बैठक विधिवत प्रारंभ की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1. प्रो0(डॉ0) सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, — सदस्य
   आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान
   संत विनोबा पी.जी.कॉलेज, देवरिया–उ0प्र0

1. प्रो0 जे0पी0 शर्मा — सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)
   पूर्व कुलपति सुखाडिया वि0वि0 उदयपुर

2. प्रो0 मनरूप सिंह — सदस्य
   समकुलपति, इं.गा.रा.मु.वि.वि. नई दिल्ली।

3. डा0 सतीश कुमार सैन — सदस्य (ऑन लाईन उपस्थित)
   संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग
   (प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उ.शिक्षा विभाग राज0सरकार)

4. डा. आशीष शर्मा — सदस्य
   कोषाधिकारी एवं प्रति.संभागीय आयुक्त
   कोटा।

5. प्रो0 बी0 अरूण कुमार — सदस्य
   आचार्य, राजनीति विज्ञान, वमखुविवि,कोटा।

6. डॉ0 श्रीमती रश्मि बोहरा — सदस्य
   निदेशक, क्षे.के.,।

7. डा0 अनुरोध गोधा — सदस्य
   निदेशक
   क्षेत्रीय सेवाऐं, वमखुविवि,कोटा।

8. श्री महेश चंद मीना — विशेष आमंत्रित
नियंत्रक (वित्त)
व0म0खु0वि0वि,कोटा।

9. श्री के.के. गोयल — सचिव
कुलसचिव,वमखुविवि,कोटा।

109/01 प्रबंध मंडल की 107वीं एवं 108वीं(आपात) बैठकों के कार्यवाही विवरणों एवं की गई अनुपालना की पुष्टि।

प्रबंध मंडल की 107वीं एवं 108वीं(आपात) बैठकों के कार्यवाही विवरणों एवं की गई अनुपालना की पुष्टि की गई।

109/02 वित्त समिति की दिनांक 29 फरवरी 2024 को प्रस्तावित बैठक के कार्यवाही विवरण एवं वित्त समिति द्वारा वित्तिय वर्ष 2023–24 के संशोधित बजट प्रस्ताव तथा वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों के अनुमोदन का प्रस्ताव।

कुलसचिव द्वारा सदन को वित्त समिति के निर्णयों से अवगत करवाए जाने के उपरांत प्रबंध मंडल द्वारा वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण एवं वित्तिय वर्ष 2023–24 के संशोधित बजट प्रस्ताव तथा वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों को अनुमोदित किया गया।

109/03 विद्या परिषद की 69वीं बैठक दिनांक 05 मार्च 2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विद्या परिषद की 69वीं बैठक दिनांक 05 मार्च 2024 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा सदन को विस्तृत जानकारी दिए जाने के बाद प्रबंध मंडल द्वारा कार्यवाही को अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि आंतरिक मूल्यांकन कार्य को ऑनलाईन करवाने सम्बन्धी निर्णय में राज्य सरकार के लेखा नियिमों यथा– RTPP Rules 2013 के प्रावधानों की पालना करते हुए कार्य करवाए जाने की सहमति प्रदान की गई।

109/04 वित्त समिति में में माननीय कुलपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य प्रो0 एन0 के0 पाण्डेय के मनोनयन आदेश क्रमांक 498 दिनांक 22.04.24 की पुष्टि का प्रस्ताव।

प्रो0 एन0 के0 पाण्डेय के मनोनयन आदेश क्रमांक 498 दिनांक 22.04.24 की पुष्टि की गई।

109/05 आयोजना मंडल में एक सदस्य के मनोनयन का प्रस्ताव।

आयोजना मंडल में प्रो0 सुबोध कुमार को सदस्य मनोनीत किए जाने का निर्णय किया गया।

109/06 प्रबंध मंडल की 100वीं बैठक के निर्णय संख्या 100/03 के क्रमें राज्य सरकार से प्राप्त आन्तरिक गृह कार्य के ऑनलाईन मूल्यांकन के कार्यावंटन सम्बन्धी जांच रिपोर्ट का अवलोकन और भुगतान हेतु आगामी कार्यवाही बाबत् निर्णय का प्रस्ताव।

राज्य सरकार के पत्र संख्या प.8(1)शि.–4/2017 दिनांक 21.02.2024 के अनुसरण में कुलसचिव द्वारा सदन को प्रो0 ए.के. गहलोत एवं डा0 राजीव जैन क़ी समिति गठित किए जाने के सम्बन्ध में सदन को प्रारंभिक जानकारी से अवगत करवाते हुए दोनों रिपोर्टो के निष्कर्ष से सदन को अवगत करवाते हुए बताया कि ए0के0 गहलोत समिति की रिपोर्ट में चार बिंदुओं पर अनियमितता का उल्लेख है जिसमें बिंदु संख्या 01 में मौलाना आजाद एज्युकेशन फाउंडेशन से अनुदान बिंदु संख्या 04 में कुलपति महोदय द्वारा वाहन के दुरूपयोग सम्बन्धी बिंदु की जांच ए0सी0बी0 में विचाराधीन है, बिंदु संख्या 03 में वरिष्ठ आचार्य को प्रबंध मंडल का सदस्य बनाए जाने के बाद प्रकरण समाप्त हो गया है तथा बिंदु संख्या 02 के सम्बन्ध में प्रो0 राजीव जैन समिति की रिपोर्ट एवं राज्य सरकार का पत्र दिनांक 21.02.24 के तहत परीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक मूल्यांकन ऑनलाईन भुगतान के बिंदु के सम्बन्ध में तैयार की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट (संलग्न अनुलग्न–1 पृ0 सख्या 04 से 09) प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय किया है कि आंतरिक मूल्यांकन ऑनलाईन कार्य के भुगतान के सम्बन्ध में नियंत्रक वित्त की संयोजकता में एक समिति गठित की जाए जिसमें परीक्षा नियंत्रक एवं कोषाधिकारी, कोटा को सदस्य बनाया जाए। समिति द्वारा फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल के पार्ट 01 (जिसमें कार्य के आधार पर बिलों को चैक किया जाना है) का परीक्षण कर 07 दिवस में अनुशंसा प्रस्तुत की जाएगी जिसके आधार पर भुगतान किया जाएगा एवं पार्ट–2 (जिसमें फर्म द्वारा वास्तव में किए गए कार्य का निर्धारण कर दरें तय करने के बाद भुगतान किया जाना है) के सम्बन्ध में एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसके आधार पर पार्ट–2 के बिलों का भुगतान किया जाने का निर्णय किया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

15/3/24

कुलसचिव
एवं सचिव, प्रबंध मंडल

3

अनु० – 1

A. Scope of Work and Payment Due

विश्वविद्यालय द्वारा 2021 में मेसर्स हिन्द प्रिंटिंग प्रेस, बरेली को आन्तरिक गृह कार्य मूल्यांकन की ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए दो कार्यादेश दिए गए थे| अतः फर्म ने दो प्रथक चरणों में उक्त कार्य किया| प्रत्येक चरण के कार्य आवंटन के लिए प्रथक से प्रक्रियाओं को नियमानुसार संपन्न कर दो प्रथक कार्यादेशों के माध्यम से मेसर्स हिन्द प्रिंटिंग प्रेस, बरेली को निर्देशित किया गया था|

Phase-I Work

पहले चरण में कार्यादेश संख्या No. VMOU/EXAM/CONF/2021/49, दिनांक 02/02/2021 के द्वारा फर्म को रू. 12.50 प्रति + GST 18% आन्तरिक गृह की दर से विद्यार्थियों द्वारा सातों क्षेत्रीय केन्द्रों पर भौतिक रूप से जमा किए गए आन्तरिक गृह कार्यों को स्केन करना और ततपश्चात कोडिंग कर ऑनलाइन मूल्यांकन कराके डीकोड कर परीक्षा विभाग को अंक प्रेषित करने का कार्य निर्देशित था| फर्म द्वारा प्रथम चरण में 7,00,019 आन्तरिक गृह कार्यों का विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों पर जाकर स्केन किया गया और 613148 आन्तरिक गृह कार्यों का ऑनलाइन मूल्यांकन कर विद्यार्थियों का अंक परीक्षा विभाग को उपलब्ध करवाया जिसके आधार पर संबंधित विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया| 65 वीं विद्या परिषद (आपात बैठक,17-10-2022) के निर्णय और 102 वीं प्रबंध मण्डल (आपात बैठक, 18-10-2022) द्वारा 65 वीं विद्या परिषद के निर्णय की पुष्टि पश्चात विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार फर्म को बीच में कार्य बन्द करने के निर्देश (No. VMOU/EXAM/Conf/2022/198,दिनांक 22-10-2022) के कारण 86871आन्तरिक गृह कार्यों का स्केनिंग, कोडिंग और अपलोडिंग के पश्चात ऑनलाइन मूल्यांकन और शेष कार्य संपन्न नहीं हो पाए|

इस प्रकार प्रथम चरण में देय राशि की गणना निम्नानुसार है :-

	Scanning Work	Amount Payable for Scanning in Rs. (50% of 12.50 i.e. 6.25)	Post Scanning to transfer of Evaluated Marks	Amount Payable in Rs. For Post Scanning to transfer of Evaluated Marks (@ 12.50 per assignment + GST 18%)	Scanned but Un-evaluated (@ Rs 6.25 per assignment + GST 18%)	Total Amount Payable (including GST) in Rs.
Firm	733026	4581413 + 18% GST	613148	7664350 + 1379583 = **9043933**	119878 X 6.25 = 749238 + 134863 (i.e. 18% GST) = **884101**	**9928034**
VMOU	700019	4375119 + 18% GST	613148	7664350 + 1379583 = **9043933**	86871 X 6.25 = 542944 + 97730 (i.e. 18% GST) = **640674**	**9684607**

B Arun Kumar

इस प्रकार प्रकार प्रथम चरण के कार्य के लिए फर्म द्वारा को भुगतान हेतु राशि रू. 9684607/- (रुपए छियानवे लाख चौरासी हज़ार छः सौ सात मात्र) का भुगतान राशि देय है| अभी तक कोई राशि भुगतान नहीं की गयी है|

Phase-II Work

दूसरे चरण में कार्यादेश संख्या No. VMOU/EXAM/CONF/2021/88, दिनांक 26/08/2021 विद्यार्थियों को संबंधित आन्तरिक गृह कार्य की ऑनलाइन व्यवथा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य अपेक्षित थे:-

1. आन्तरिक गृह कार्य को structured format (16 पृष्ठों में) में विद्यार्थियों को सेक्यूरिटी फीचर्स सहित ऑनलाइन उपलब्ध करवाना
2. उनके द्वारा लिखे गए आन्तरिक गृह कार्य को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा प्रदान करना
3. इस प्रकार ऑनलाइन जमा किए गए आन्तरिक गृह कार्यों का कोडिंग कर ऑनलाइन मूल्यांकन हेतु परीक्षकों को उपलब्ध करवाना
4. परीक्षकों के द्वारा मूल्यॉंकन पश्चात विद्यार्थियों को प्राप्त अंक डीकोडिंग कर स्कोलर संख्या अनुसार अंक वांछित रूप में (EXCEL Format) परीक्षा विभाग को प्रेषित करना

विद्यार्थियों और परीक्षकों को सहयोग हेतु Help Desk सुविधा उपलब्ध करवाना निर्देशित थे|

उपर्युक्त सभी कार्यों के लिए Agreement अनुसार रू. 24/- प्रति आतंरिक गृह कार्य तय किया गया |

फर्म द्वारा अपेक्षित कार्य (1 और 2) संपन्न किए गए क्योंकि बीच में ही फर्म को 65वीं विद्या परिषद और 102वीं प्रबंध मण्डल के निर्देश अनुसार कार्य बन्द करने का आदेश दिया गया (आदेश सं. VMOU/EXAM/Conf/2022/198, दिनांक 22-10-2022) | फर्म ने इस चरण में जो कार्य किया है उसके लिए निम्नानुसार बिल प्रस्तुत किया है:-

1. 29674 विद्यार्थियों द्वारा आतंरिक गृह कार्यों की कुल डाउनलोड संख्या :– 157786
2. इन विद्यार्थियों में से आतंरिक गृह कार्यों की कुल अपलोड संख्या :– 132653
3. जिस दर से उक्त कार्यों के लिए कुल राशि की गणना की गयी है :– रू. 24/-
4. बिल अनुसार भुगतान किये जाने वाली राशि – 157786 गुणा रू. 24/- यानी

   रू. 3786864/-

B Arun Kumar

परन्तु उक्त क्रम में फर्म द्वारा किये गए कार्यों का सत्यापन कैसे किया जाए और जो कार्य किया गया है उसके लिए भुगतान कैसे निर्धारित किया जाए. इस हेतु प्रथक से एक समिति का गठन प्रस्तावित है|

B. Appeal of Firm in MSME Facilitation Council Bareilly

फर्म ने प्रथम चरण के कार्य के लिए भुगतान-राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए 4-5 reminder पत्र भी प्रेषित किए थे और बाद में फर्म ने Micro and Small Enterprises (MSME), Facilitation Council, Bareilly में भुगतान करवाने की अपील (CP No. 49/2022) भी दर्ज करवा दी जिसके कारण विश्वविद्यालय को MSME से 5 नोटिस भी प्राप्त हुए हैं| इनमें मेसर्स हिन्द प्रिंटिंग प्रेस, बरेली को भुगतान संबंधी विवाद को आपसी समझाइश से दूर करने का निर्देश दिया गया था, अन्यथा अग्रिम कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी गई थी | हर बार MSME Facilitation Council से यही निवेदन किया गया कि सरकार द्वारा उक्त कार्य आवंटन के सन्दर्भ में गठित जाँच समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय भुगतान के बारे में निर्णय करने में असमर्थ है और इस क्रम में थोड़ा और समय माँगा गया| दिनांक 1-02-2024 MSME Facilitation Council ने "न्यायहित में प्रकरण को अवार्ड हेतु निर्णय रक्षित करने" के आदेश पारित किया| सरकार से जाँच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही विश्वविद्यालय ने MSME Facilitation Council को सूचित कर दिया है कि जाँच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हों गयी है और दिनांक 06-03-2024 को आयोजित होने वाली आगामी प्रबंध मण्डल (यानि आज की बैठक) में इसका अवलोकन करवाकर भुगतान संबंधी न्यायोचित निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाएगा|

C. Institution of Inquiry Committee to Examine the allotment of Internal Home Assignment Work

विश्वविद्यालय द्वारा 2021 में मेसर्स हिन्द प्रिंटिंग प्रेस, बरेली को आन्तरिक गृह कार्य मूल्यांकन की ऑनलाइन व्यवस्था हेतु दिए गए कार्यादेश पर राजभवन और राज्य सरकार द्वारा जाँच समितियां गठित की गयी| राज भवन द्वारा प्रो.ऐ.के. गहलोत की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी जिसने निम्न चार प्रकरणों के सम्बन्ध में अनियमितता पायी गयी एवं यह भी अंकित किया गया कि राज्य सरकार यदि चाहे तो किसी एजेंसी / ब्यूरो से उसकी विस्तृत जाँच करवा सकती है:-

1. विश्वविद्यालय को मौलाना आज़ाद एडुकेशन फौंडेशन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सर्कार से प्राप्त अनुदान
2. आतंरिक गृह कार्य का स्केनिंग एवं मूल्याँकन कार्य को ओउटसोर्स
3. कुलपति द्वारा प्रबंध मण्डल में सदस्य नामित करने और
4. कुलपति महोदय द्वारा उनके निमित वाहन का दुरूपयोग

B Arun Kumar

उपरोक्त क्रम.सं. 2 में वर्णित प्रकरण की जाँच के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रो. राजीव जैन की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी|

राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प.8 (1)शिक्षा-4/ 2017, दिनांक 21-02-2024 के साथ संलग्न राज भवन द्वारा गठित प्रो.ऐ.के. गहलोत की अध्यक्षता में गठित समिति और राज्य सरकार द्वारा गठित प्रो. राजीव जैन की अध्यक्षता में गठित समिति की जाँच रिपोर्ट प्रबंध मण्डल के निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही कर उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को अवगत करवाने के लिए निर्देशित किया गया| प्रो.ऐ.के. गहलोत की अध्यक्षता में गठित समिति ने आतंरिक गृह कार्य मूल्याँकन के कार्यावंटन के अतिरिक्त 4 अन्य शिकायतों की भी जाँच की है और तथाकथित अनियमितताओं के बारे में राय दी कि यदि राज्य सरकार चाहे तो किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से जांच करवा सकती है| इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रो. राजीव जैन की अध्यक्षता में जाँच समिति गठित की गयी जिसने अपने जाँच में पाना बताया कि 'आरोप निराधार, बेबुनियाद प्रतीत होते हैं तथा व्यक्तिगत कयासों पर आधारित है|'

D. Proposed Action regarding Payment to M/s Hind Printing Press, Bareilly

राजस्तान राज्य सरकार द्वारा प्रो. राजीव जैन की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेसर्स हिन्द प्रिंटिंग प्रेस, बरेली को प्रथम चरण में उसके द्वारा किये गए कार्य के लिए भुगतान हेतु राशि रू. 9684607/- (रुपए छियानवे लाख चौरासी हज़ार छः सौ सात मात्र) के सन्दर्भ में निर्णय किया जाना है|

तदापि फर्म द्वारा द्वितीय चरण में विश्वविद्यालय के निर्देश पर कार्य बीच में रोकने के कारण आतंरिक गृह कार्य के ऑनलाइन व्यवस्ता के अंतर्गत अपेक्षित सभी कार्य पूरे नहे हों पाए| जो कार्य किया जा चुका है उसके लिए कितना भुगतान किया जाना है यह Agreement में प्रत्येक अपेक्षित कार्यों के लिए दर निर्धारित नहीं होने के कारण भुगतान राशि की गणना करना जटिल है| फर्म द्वारा सीमित कार्यों के लिए रू. 24/- प्रति आतंरिक गृह कार्य, जो कि अपेक्षित सभी कार्यों के लिए था, की दर से भुगतान करना भी उचित प्रतीत नहीं होता है| तदापि एक न्यायोचित राशि के भुगतान हेतु प्रथक से एक समिति का गठन किया जावे जिसकी अनुशंषा आगामी प्रबंध मण्डल में निर्णयार्थ रखा जाए|

B Arun Kumar

Bills Raised by Firm (Ref. Phase -I)

S.N.	Bill No. & Date	Work	Rate at which Bill is Raised (in Rupees)	Amount (in Rupees)	GST 18% (in Rupees)	Total Bill Amount (in Rupees)
1	45, 2-6-21	Scanning of 143271 Assignments	6.25	895444	161180	1056624
2	322, 25-07021	Coding, online evaluation, de-coding & result of 142766	6.25	892288	160612	1052900
3	720, 16-1-22	Scanning of 589755 Assignments	6.25	3685969	663474	4349443
4	277, 28-8-22	Coding, online evaluation, de-coding & result of 463211	6.25	2895069	521112	3416181
5	405, 29-10-22	Coding, online evaluation, de-coding & result of 7055	6.25	44094	7937	52031
					Total	**9927179**

B Arun Kumar

8

Bills Raised by Firm (Ref. Phase -II)					
S.N.	Bill No. & Date	Online download/upload/ coding/ Work related to assignment	Rate at which Bill is Raised (in Rupees)	Amount (in Rupees)	GST 18% (in Rupees)
1	3, 11-06-2023	157786	24/-	3786864	681635.52

B Arun Kumar